भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3695
उत्तर देने की तारीख 24 मार्च, 2025
सोमवार, 03 चैत्र, 1947 (शक)

नए कौशल विकास कार्यक्रम

3695. श्रीमती मालविका देवी:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा आकांक्षी जिलों में कौशल विकास कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) उक्त जिलों में गत वर्ष के दौरान शुरू किए गए नए कौशल विकास कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा नए उद्यमियों को दी जाने वाली राजसहायता का ब्यौरा क्या है और वे किन-किन योजनाओं से लाभान्वित हो सकते हैं; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि इन कार्यक्रमों में प्रशिक्षित होने वाले लोगों को तुरंत नौकरी दी जाए और उन्हें स्थायी रूप से नौकरी मिल जाए?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ख): भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न योजनाओं अर्थात प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस), आकांक्षी जिलों सहित देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल विकास केंद्रों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुनः कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल से लैस करके भविष्य के लिए तैयार करना है। आकांक्षी जिलों सहित भारत में एमएसडीई की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियों का विवरण निम्नानुसार है:

राज्य/जिला	पीएमकेवीवाई (वर्ष 2015-16 से दिनांक 31.12.2024)	जेएसएस (वर्ष 2018-19 से दिनांक 28.02.2025)	एनएपीएस (वर्ष 2018-19 से दिनांक 28.02.2025)	सीटीएस (आईटीआई) (वर्ष 2018-19 से दिनांक 2023-24)
अखिल भारत	1,60,33,081	29,52,539	37,09,218	79,57,128
आकांक्षी जिले	15,57,863*	5,27,709	1,71,045	8,11,991

*केवल पीएमकेवीवाई 2.0, 3.0 और 4.0

इसके अलावा, संकल्प योजना के तहत भारत के 112 आकांक्षी जिलों में से प्रत्येक को 10 लाख रुपये का वित्तीय अनुदान स्वीकृत किया गया है। आकांक्षी कौशल अभियान के तहत, इन जिलों में कौशल विकास पहलों को बढ़ाने के उद्देश्य से 112 आकांक्षी जिलों को 13.91 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) के सहयोग से एमएसडीई ने 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 27 आकांक्षी और दुर्बोध जिलों में 3,850 किशोरियों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पायलट आधार पर 'आकांक्षी जिलों में किशोरियों का कौशल विकास' परियोजना शुरू की है।

(ग): भारत सरकार ने उद्यमशीलता शिक्षा, प्रशिक्षण, एडवोकेसी और उद्यमशीलता नेटवर्क तक आसान पहुँच के माध्यम से अधिक समावेशी उद्यमशीलता इकोसिस्टम बनाने के लिए विभिन्न पहल की हैं। भारत सरकार उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों अर्थात प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम; सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम; पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु कोष की योजना; नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए एक योजना; स्टार्ट-अप इंडिया; राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन- स्टार्ट-अप विलेज उद्यमशीलता कार्यक्रम; प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकरण; प्रौद्योगिकी इंक्यूबेशन और उद्यमियों की विकास योजना आदि, को लागू करती है।

सूक्ष्म उद्यमों और स्टार्ट-अप के लिए पूंजी तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्ट-अप के लिए फंड ऑफ फंड्स, स्टार्ट-अप इंडिया सीड फंड योजना और स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी योजना जैसी कई पहल की हैं।

एमएसडीई अपने स्वायत्त संस्थानों, अर्थात राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (नीसबड), नोएडा और भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई), गुवाहाटी के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र और आकांक्षी जिलों जैसे विशेष क्षेत्रों सहित पूरे देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए उद्यमशीलता जागरूकता कार्यक्रम (ईएपी) और उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) आयोजित करता है।

एमएसडीई ने नीति आयोग के महिला उद्यमशीलता मंच के साथ मिलकर दिनांक 07.02.2025 को पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय और मिजोरम में तथा दिनांक 01.03.2025 को उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में महिला उद्यमशीलता कार्यक्रम स्वावलंबिनी की शुरुआत की है। एमएसडीई अपने स्वायत्त संस्थानों, अर्थात् नीसबड और आईआईई के माध्यम से कार्यक्रम को लागू करेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं में उद्यमशीलता की मानसिकता विकसित करना है, उन्हें उद्यमशीलता को कैरियर के रूप में अपनाने के लिए आवश्यक उपलब्ध सहायता तंत्र, योजनाओं, संसाधनों और नेटवर्क के बारे में जागरूक करना है।

(घ): कौशल विकास के लिए एमएसडीई की योजनाओं का उद्देश्य उम्मीदवारों की नियोज्यता में सुधार करना है ताकि वे वैतनिक या स्व-रोजगार में लाभकारी रूप से संलग्न हो सकें। एमएसडीई की प्रमुख योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का मूल्यांकन नीति आयोग द्वारा अक्तूबर 2020 में नौकरियों और कौशल क्षेत्र के तहत किया गया था। अध्ययन के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल लगभग 94 प्रतिशत नियोक्ताओं ने बताया कि वे पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षित अधिक उम्मीदवारों को काम पर रखेंगे। इसके अलावा, 52 प्रतिशत उम्मीदवार जिन्हें पूर्णकालिक/अंशकालिक रोजगार में रखा गया था और पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) घटक के तहत उन्मुख किया गया था, उन्हें उच्च वेतन मिला या उन्हें लगा कि उन्हें अपने गैर-प्रमाणित साथियों की तुलना में अधिक वेतन मिलेगा।

एमएसडीई की अन्य योजनाओं के संबंध में, तृतीय पक्ष के मूल्यांकन रिपोर्टों में विभिन्न योजनाओं के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की नियुक्ति या आजीविका में सुधार के संदर्भ में सफलता का उल्लेख किया गया है। इसका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस): वर्ष 2020 में जेएसएस योजना के मूल्यांकन अध्ययन में पाया गया है कि इस योजना ने उन लाभार्थियों की घरेलू आय को लगभग दोगुना करने में मदद की है, जिन्हें जेएसएस प्रशिक्षण के बाद रोजगार मिला है या वे स्व-रोजगार कर रहे हैं। 79% महिला प्रतिनिधित्व, 50.5% ग्रामीण हिस्सा, बेहतर आजीविका के लिए रोजगार में 73.4% बदलाव, प्रत्येक लाभार्थी की औसत आय में 89.1% बदलाव, जेएसएस द्वारा लाभार्थियों का 85.7% जुटाव, इस बात को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि योजना की उपयोगिता इस तथ्य से और भी स्पष्ट होगी कि 77.05% लाभार्थी प्रशिक्षुओं ने अपना व्यवसाय बदल लिया है। अध्ययन ने यह भी पुष्टि की कि योजना में कौशल का ध्यान स्व-रोजगार पर केंद्रित है।

राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस): 2021 में आयोजित एनएपीएस के तृतीय पक्ष के मूल्यांकन अध्ययन में पाया गया है कि इस योजना ने विभिन्न उद्योगों में शिक्षुओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ, संरचित ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण प्रदान करके युवाओं की नियोज्यता को सफलतापूर्वक बढ़ाया है। योजना के नए संस्करण में, सरकार के हिस्से को सीधे शिक्षुओं के बैंक खातों में स्थानांतरित करने के लिए डीबीटी पद्धति को अपनाया गया है, क्योंकि रिपोर्ट में सुव्यवस्थित प्रतिपूर्ति प्रक्रिया की सिफारिश की गई थी।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई): एमएसडीई द्वारा वर्ष 2018 में प्रकाशित आईटीआई स्नातकों के ट्रेसर अध्ययन की अंतिम रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि कुल आईटीआई उत्तीर्णों में से 63.5% को रोजगार मिला (जिनमें से 6.7% स्व-रोजगार हैं) है।

*****